उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 72/2017/718 /92-2-17-37जॉच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 11 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-सुलतानपुर में दिनांक 07-05-2017 को मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम की सूचना होने के उपरान्त भी श्री आर0के0 वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर निरीक्षण स्थल पर उपस्थित न होने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उन्हें निम्नवत **"परिनिन्दित"** किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

''ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर में मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 07-05-2017 को किये गये निरीक्षण के दौरान निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम की सूचना होने के उपरान्त भी निरीक्षण स्थल पर उपस्थित न होने आदि अनियमितताओं हेतु अनियमितता हेतु श्री आर0के0 वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर को वर्ष 2017-18 के लिये **"परिनिन्दित"** किया जाता है।''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-72/2017/718(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री आर0के0 वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in